

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवां, जिला बून्दी (राज0)

ला बून्दी (राज0)

नम्बर  
अहकाम  
हुकम की  
में जारी

6-2-24

ख हुकम

हुकम कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुए

पत्रावली पेश हुई। वकील पद्मकारानुप  
हैं। बहस प्रांप्त १.१. सुनी गई। वकील  
जार्जी ने दिनांक ३।१०।२३ को दी गई अंतरिम  
अस्थायी निषेधाज्ञा को ताफैसला बाद  
पुष्ट किया जाने हेतु निवेदन किया। बहस  
में वकील जार्जी द्वारा दिये गए तर्कों पर  
मनन किया। प्रांप्त १.१. स्वीकार किया  
जाता है। दिनांक ३।१०.२३ को जारी  
अस्थायी निषेधाज्ञा ताफैसला बाद पुष्ट  
की जाती है। निर्णय खुले न्यायालय में  
सुनाया गया। पत्रावली बाद तकमील मूलवाद  
के साथ संलग्न रहे।

  
उपखण्ड अधिकारी  
नैनवां (बून्दी)

